

**न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**  
**पीठासीन अधिकारी :- एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.**

**(1) प्रकरण संख्या 53/2017 (उदयपुर डिक्री)**

इन्दरसिंह पिता भैरूसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्त

**बनाम**

1. जवानसिंह पिता भैरूसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. भैरूसिंह पिता वगतसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती जड़ावबाई बेवा वगतसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. पुष्पा पुत्री वगतसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. डूलेसिंह पिता वगतसिंह जी राजपूत, नाबालिग जरिये माता श्रीमती जड़ावबाई बेवा वगतसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पॉन्डेन्टगण

**(2) प्रकरण संख्या 55/2017 (उदयपुर डिक्री)**

इन्दरसिंह पिता भैरूसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्त

**बनाम**

1. जवानसिंह पिता भैरूसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. भैरूसिंह पिता वगतसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती जड़ावबाई बेवा वगतसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. पुष्पा पुत्री वगतसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)



5. डूलेसिंह पिता वगतसिंह जी राजपूत, नाबालिग जरिये माता श्रीमती जड़ावबाई बेवा वगतसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा-223 रा0का0अ0

1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री सहायक

कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा प्रकरण

संख्या 438/2013 क्रमशः दिनांक

18-05-2017 एवं 02-02-2017

-----::-----

उपस्थित (वक्तबहस) 1- श्री नरे । जणवा अभिभाषक अपीलान्त

2- श्री जी.एस. मेहता अभिभाषक रेस्पों.सं. 1

3- श्री कमले । चौहान राजकीय अभिभाषक

-----::-----

निर्णय

दिनांक 05-10-2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ब्राहमणों की हुन्दर में वाद पत्र के साथ सलंग्न परिशिष्ट "अ", "ब", "स", "द" की आराजियात स्थित हैं, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा खातेदारी में अंकित है एवं वादी इसी अनुसार उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है। अतः वाद वर्णित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम की गयी।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आदे । 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा. दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वाद मयाद अधिनियम की धारा 27 तथा अनुच्छेद 65 के तहत बार्ड बाई लॉ होने से पोशणीय नहीं है, क्योंकि वादी स्वयं ने वाद में यह कथन किया है कि 35-40 वर्षों पूर्व बंटवारा होकर चुका है। ऐसी स्थिति में मयाद अधिनियम के

अनुसार 12 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने से वादी का वाद पोशणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुनने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आदे 17 नियम 11 सपठित धारा 151 जा. दी. का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। तत्पश्चात् वादी के वाद पर उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 02-02-2017 से स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री किया एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 18-05-2017 को अंतिम डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 02-02-2017 के विरुद्ध अपीलान्त द्वारा अपील संख्या 55/2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18-05-2017 के विरुद्ध अपील संख्या 53/2017 इस न्यायालय में दिनांक 01-06-2017 को प्रस्तुत की।

उक्त दोनों ही अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 438/2013 के विरुद्ध प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अतः दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक-एक प्रति दोनों पत्रावलियों पर संलग्न रहे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री जी. एस. मेहता उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 6 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री कमले 1 चौहान उपस्थित हुए। अपीलान्त की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

प्रारम्भिक डिक्री के विरुद्ध अपील मयाद बाहर होने से अपीलान्त द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन देरी के कारणों को उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया एवं तार्डिद में भापथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन का अवलोकन किया गया। अपील प्रस्तुत करने में अल्प विलम्ब हुआ है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्त ने बताया कि प्रारम्भिक डिक्री उनकी अनुपस्थिति में जारी की गयी है तथा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में बंटवारा

रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने मनमकसूद तरीके से रेस्पोंडेन्ट का वाद डिक्री किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

रेस्पोंडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए दोनों अपीलें खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर कर पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी में विवादित आराजियात अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के नाम 1/2, 1/2 हिस्से से दर्ज है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने 1/2 हिस्से के विभाजन का वाद अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसके जवाब में अपीलान्ट द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर विवादित आराजियात का 50 वर्ष पूर्व बंटवारा होने का कथन किया गया है, किन्तु पक्षकारों के मध्य पूर्व में किसी प्रकार का बंटवारा होना साबित नहीं होने से एवं वादी/रेस्पोंडेन्ट 1/2 हिस्से का रेकार्डेड खातेदार होने से अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट/वादी का वाद स्वीकार कर बंटवारे की प्रारम्भिक डिक्री जारी की जो विधि सम्मत है। तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः उक्त दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 02-02-2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18-05-2017 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविशिट नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05-10-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर

**डिगरी व सीगे अपील**  
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....  
व इजलास .....एम. एल. चौहान, आर.ए.एस. ....

इन्दरसिंह पिता भैरूसिंहजी राजपूत, बनाम जवानसिंह पिता भैरूसिंहजी राजपूत,  
नि० जसुजी का गुड़ा, मदार, तह० नि० जसुजी का गुड़ा, मदार, तह०  
गर्वा, जिला उदयपुर गर्वा, उदयपुर व अन्य

अपील नं.....55/17.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)  
.....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....02.....माह.....02.....2017

**दावा बाबत**

यह अपील व तारीख.....05.....माह.....10.....सन् 2021 रूबरू.....पक्षकारान  
व हाजरी.....श्री नरे । जणवा.....मिनजानिब अपीलान्त व .....श्री जी. एस. मेहता

.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्त  
सारहीन होने से खारिज करते हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व  
प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 02-02-2017 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....  
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....05.....माह.....10.....2021  
को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर

**खर्चा अपील**

अपीलान्त	रू०	पै०	रेस्पोंडेन्ट	रू०	पै०
1. स्टाम्प अपील ... ..			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा .....			2. स्टाम्प अर्जी .....		
3. इजराय हुक्मनामा .....			3. इजराय हुक्मनामा .....		
4. वकील फीस बाबत .....			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान .....			मीजान .....		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये  
दिलाया गया हो।

**डिगरी व सीगे अपील**  
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....  
व इजलास .....एम. एल. चौहान, आर.ए.एस. ....

इन्दरसिंह पिता भैरूसिंहजी राजपूत, बनाम जवानसिंह पिता भैरूसिंहजी राजपूत,  
नि० जसुजी का गुड़ा, मदार, तह० नि० जसुजी का गुड़ा, मदार, तह०  
गर्वा, जिला उदयपुर गर्वा, उदयपुर व अन्य

अपील नं.....53/17.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)  
.....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह.....05.....2017

**दावा बाबत**

यह अपील व तारीख.....05.....माह.....10.....सन् 2021 रूबरू.....पक्षकारान  
व हाजरी.....श्री नरे । जणवा.....मिनजानिब अपीलान्त व .....श्री जी. एस. मेहता

.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्त  
सारहीन होने से खारिज करते हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व  
अंतिम डिक्री दिनांक 18-05-2017 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....  
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....05.....माह.....10.....2021  
को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर

**खर्चा अपील**

अपीलान्त	रू०	पै०	रेस्पोंडेन्ट	रू०	पै०
1. स्टाम्प अपील ... ..			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा .....			2. स्टाम्प अर्जी .....		
3. इजराय हुक्मनामा .....			3. इजराय हुक्मनामा .....		
4. वकील फीस बाबत .....			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान .....			मीजान .....		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये  
दिलाया गया हो।

